समझौता ज्ञापन

दिनांकः 15-12-2023 को किया गया

1. पक्षकार

इस समझौता ज्ञापन में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 के अंतर्गत स्थापित प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय) प्रथम पक्षकार के रूप में शामिल होगा। इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय का हिन्दी विभाग, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय का प्राधिकृत उत्तरवर्ती निष्पादक और समुनिदेशिती होगा।

दूसरे पक्षकार के रूप में हिन्दी विभाग नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), पता– कोटवा, जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज, उ0प्र0–221505 समझौता ज्ञापन में इस संस्था से संबंधित उत्तरवर्ती निष्पादक, प्रशासक और प्राधिकृत समुनिदेशिती शामिल होंगे।

Registrar 25/4/24

2. उद्देश्य–

2.1 विश्वविद्यालय और भागीदार संस्था को संकाय और छात्रों के मध्य शैक्षणिक, व्यवसायिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सहायता करके यह समझौता, अध्ययनशील सहयोग, सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) करने का इच्छुक है। तद्नुसार सहयोग के क्षेत्रों में पारस्परिक सहमति के अधीन, प्रत्येक पक्ष की ओर से वांछनीय एवं सुविधाजनक समझ के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया गया कोई कार्यक्रम शामिल होगा और दोनों ओर से दोनों पक्षकारों के बीच सहयोगी संबंध बनाए रखने और उसे प्रगाढ़ करने के लिए योगदान करेंगे।

और

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय नैनी, प्रयागराज, हिन्दी विभाग नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवा, जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज, उ0प्र0 से दोनों पक्षों के पास उपलब्ध सुविधाओं और विशेषज्ञता की साझेदारी द्वारा सांस्कृतिक साहित्यिक

AA कृपया सम्बन्धित फाइल में सुरक्षित रख दें। 25/04/24

Registrar
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University
Prayagraj, U.P

आर0 एल0 विश्वकर्मा
कुलसचिव
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय)
प्रयागराज-221505

Scanned with OKEN Scanner

सृजन को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक संबंध को सुदृढ़ और उसे सशक्त करने का इच्छुक है।

दोनों पक्षों के मध्य सहयोग के इस विशिष्ट क्षेत्र में निम्नलिखित बिन्दु शामिल होंगे–

क) संयुक्त अनुसंधान गतिविधियाँ।

ख) किसी भी पक्ष द्वारा अथवा दोनों पक्षों द्वारा आयोजित सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भागीदारी करना।

ग) संयुक्त सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना।

घ) विशेष शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करना और निष्पादित करना।

ड.) संयुक्त परामर्श सेवाएं।

च) दोनों पक्षों की पूर्व सहमति से संकाय सदस्यों का आदान–प्रदान करना।

छ) दोनों पक्षों के पूर्व सहमति से शैक्षिक सामग्री का आदान–प्रदानकरना।

2.2 इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थाओं में शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए निर्दिष्ट दोनों पक्षकारों के बीच शैक्षिक ढाँचा तैयार करना है। पक्षकार एक–दूसरे के लिए बाध्यकारी होना नहीं चाहते हैं और इस समझौता ज्ञापन से किसी भी पक्ष पर कानूनी दायित्व आरोपित नही होते हैं।

3. सूचनाएँ–

प्रत्येक सूचना, अनुरोध अथवा इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में दिए जाने के लिए अपेक्षित या अनुमन्य कोई अन्य सूचना लिखित में होगी और या तो व्यक्तिगत रूप में दी जाएगी अथवा इसे संबंधित पक्ष के कुलसचिव को उनके नीचे लिखे पते पर पंजीकृत डाक से अथवा कोरियर के माध्यम से अथवा ई–मेल के माध्यम से दी जाएगी। (जिसकी पावती दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकार की जाएगी)

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ0प्र0 नैनी, प्रयागराज–211010

4. प्रचार एवं विज्ञापन–

दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि प्रत्येक पक्ष इस समझौता ज्ञापन के तहत दी गई गतिविधि के अस्तित्व और स्वरूप को प्रकाशित और विज्ञापित कर सकेगा।

Registrar
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University
Prayagraj, U.P

आर0 एल0 विश्वकर्मा
कुलसचिव
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय)
प्रयागराज-221505

Scanned with OKEN Scanner

इस समझौता में उल्लिखित किसी भी बात का अर्थ गोपनीय के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

5. समझौता ज्ञापन की अवधि–

5.1 यह समझौता ज्ञापन प्रत्येक पक्ष द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के समय से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा जिसकी समाप्ति पर अन्य 5 वर्ष के लिए इसके संभावित नवीकरण के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी।

5.2 कोई भी पक्ष 60 दिन की लिखित सूचना पर इस समझौता ज्ञापन को इसकी सामान्य समाप्ति से पहले रद्द कर सकता है अथवा इसकी शर्तों के संबंध में बातचीत करने का अनुरोध कर सकता है।

6. अन्य शर्तें–

6.1 इस समझौता ज्ञापन के संबंध में उत्पन्न किसी विवाद या मतभेद का समाधान सौहार्दपूर्ण निपटारे के माध्यम से किया जाएगा।

6.2 प्रत्येक पक्ष मिलकर क्षतिपूर्ति करेगा और इस समझौता ज्ञापन के तहत प्रारम्भ की गई गतिविधियों से अथवा इसकी ओर से कार्यरत कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों की इस सहयोगी गतिविधियों के किसी पहलू के निष्पादन के समय किसी कृत्य या त्रुटि से उत्पन्न नुकसान अथवा दावों से जुड़ी किसी अथवा किसी लागतों के लिए प्रत्येक पक्ष को नुकसान से अलग रखेगा।

6.3 यह समझौता ज्ञापन दो मूल प्रतियों में होगा और दोनों पक्षों के पास इसकी एक–एक मूल प्रति होगी।

इसमें उल्लिखित पक्षकारों ने सहमति से उपर्युक्त खण्डों की सहमति में आज दिनांक 15-12-23 को इस दस्तावेज पर निम्नानुसार अपने हस्ताक्षर किए हैं।

कुलसचिव
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या)
Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya)
नैनी, प्रयागराज, उ0प्र0–210010

आर0 एल0 विश्वकर्मा
कुलसचिव
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय)
प्रयागराज-221505

15/12/2023
कुलसचिव
नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवा,
जमुनीपुर–दुबावल, प्रयागराज,
उ0प्र0–221505